106

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 7206-एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 3/05 एंव 22-7-2016 - पारित व्दारा - कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला छिन्दवाड़ा - प्रकरण कमांक 15 बी-103/2002-03

शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्या0 पूर्व अध्यक्ष शिव सक्सैना
पुत्र मुरारीलाल सक्सैना साकिन नया बैल
बजार, छिन्दवाड़ा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 8 - 12 -2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला छिन्दवाड़ा व्दारा प्रकरण कमांक 15 बी-103/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 3/04 एंव दिनांक 22-7-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 छिन्दवाड़ा ने गृह निर्माण प्रयोजन के लिये भूमि लेकर दस्तावेज कमांक 7200 दिनांक 14.8.2003 पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर स्टाम्प शुल्क नहीं चुका गया। उप पंजीयक छिन्दवाड़ा ने भारतीय मुद्रॉक अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत प्रतिवेदन कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत किया .

जिस पर से कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला छिन्दवाड़ा व्दारा प्रकरण कमांक 15 बी-103/2002-03 पंजीबद्व किया तथा संस्था के पदाधिकारियों को श्रवण कर आदेश दिनांक 3/04 पारित किया एंव संपत्ति का बाजार मूल्य पुर्ननिर्धारण 1,23,787/-रू. करते हुये मुद्रॉक शुल्क 11637/- , शास्ति 5000/- कुल रूपये 16,637/- जमा करने के आदेश दिये । संस्था के पदाधिकारियों को ज्ञात होने पर कलेक्टर आफ स्टाम्प को आवेदन देकर आदेश दिनांक 3/04 के पुनरावलोकन करने की प्रार्थना की, जिस पर से कलेक्टर आफ स्टाम्प छिन्दवाड़ा ने प्रकरण कमांक आदेश दिनांक 22-7-12 पारित किया तथा स्टाम्प अधिनियम में पुनरावलोकन का प्रावधान न होना अंकित करते हुये आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। आवेदक ने कलेक्टर आफ स्टाम्प छिन्दवाड़ा के आदेश दिनांक 3/04 तथा आदेश दिनांक 22-7-12 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन पक्ष के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह हैं कि आवेदक संस्था शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 के नाम से मध्य प्रदेश को-आपरेटिव्ह सोसायट एक्ट 1960 (17 एंव 1960) के अंतर्गत पंजीकृत है जिसे मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक 773-1155-6-अ/80 दिनांक 24-10-1998 के अनुसार ऐसी सोसायटी के पक्ष में गृह निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के लिये पंजीयन के समय दस्तावेज पर मुद्रॉक शुल्क से छूट प्रदान की गई है, परन्तु जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर छिन्दवाड़ा ने मात्र इस

आधार पर पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज पर मुद्रॉक शुल्क में छूट प्रदान नहीं की है कि समिति व्दारा मात्र 1200 वर्गफुट भूखंड गृह निर्माण के लिये अंतरण हो रहा है अथवा नहीं - उद्धेश्य स्पष्ट नहीं हो पाया है। जब जिला पंजीयक सह स्टाम्प कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष यह स्पष्ट हो चुका है कि आवेदक संस्था शिक्षक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 के नाम से मध्य प्रदेश को-आपरेटिव्ह सोसायट एक्ट 1960 (17 एंव 1960) के अंतर्गत पंजीकृत है जिसे मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक 773-1155-6-अ/80 दिनांक 24-10-1998 के अनुसार ऐसी सोसायटी के पक्ष में गृह निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के लिये पंजीयन के समय दस्तावेज पर मुद्रॉक शुल्क से छूट प्रदान की गई है, तब उनके व्दारा समिति से मुद्रॉक शुल्क लेने बावत् आदेश पारित करने में भूल हुई है जिसके कारण कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला छिन्दवाड़ा व्दारा प्रकरण कमांक 15 बी-103/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 3/04 एंव दिनांक 22-7-16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला छिन्दवाड़ा व्दारा प्रकरण कमांक 15 बी-103/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 3/04 एंव दिनांक 22-7-16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर